वित्तीय स्वीकृति/स्पीड पोस्ट

संख्या: 20/2016/489प्रो0/51-2016-14(83)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
कानपुर देहात ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2016

विषय:- जनपद- कानपुर देहात में भ्रमण पर आये हुए राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1148 एचक्यू0/बी0आई0पी0सी-टैक्सी बिल-का0दे0, दिनांक 27 जनवरी, 2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वांकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि **रूपये 93,752/- (रूपये तिरान्नबे हजार सात सौं बावन मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है।

1-	सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, मा0 खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग, राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 27-03-2015 से 28-03-2015 तक वाहन संख्या-यू0पी0-32, इ0एन0-3457, देयक संख्या- के0पी0आर0-3370 दिनांक 08-04-2015 रू0 19,747/-
2-	-तदैव- दिनांक 10-04-2015 से 13-04-2015 तक वाहन संख्या-यू0पी0-32, इ0एन0-3457, देयक संख्या- के0पी0आर0-3257 दिनांक 22-04-2015 रू0 52,131/-
3-	-तदैव- दिनांक 06-04-2015 से 07-04-2015 तक वाहन संख्या-यू0पी0-32, इ0एन0-3457, देयक संख्या- के0पी0आर0-3276 दिनांक 22-04-2015 रू0 19,231/-
4-	-तदैव- दिनांक 17-07-2015 वाहन संख्या-यू0पी0-78, सीडी-1917, देयक संख्या- 85, दिनांक 31-07-2015 रू0 2,643/-

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है ।

-2-/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: 04 मूलदेयक ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 20/2016/489(1)प्रो/51-2016-14(83)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, कानपुर देहात ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर नगर ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।